

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2024/929

लखनऊ: दिनांक: 17-10-2024

: -कार्यालय जाप:-

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10-10-2024 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2024-25 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं तत्क्रम में सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2024-25 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4172-MADHU VACHASPATI INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सम्बद्धता विस्तार इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि वर्ष में कभी भी परिषद द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जा सकता है।
- ✓ संस्था फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ पी०सी०आई० के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा।
- ✓ उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2024-25 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का फार्मसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व फार्मसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू०राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2024/930

दिनांक: 17-10-2024

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MADHU VACHASPATI INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2024/5956

दिनांक: 18 फरवरी, 2025

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

MADHU VACHASPATI INSTITUTE OF PHARMACY, KAUSHAMBHI (1262)

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन एवं रिट सी संख्या 19/2025 शिवा नन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट व अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2025, रिट सी संख्या 523/2025 प० राम चरित मिश्रा महाविद्यालय शिक्षण संस्थान बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 तथा विशेष अपील 24/2025 उ०प्र० राज्य बनाम प० राम चरित मिश्रा महाविद्यालय शिक्षण संस्थान व 25/2025 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम शिवा नन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 के समादर में विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.02.2025 में विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 882944/2025/16-1099/1279/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2025 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **अस्थायी सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By PCI	Intake Approved For Affiliation
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	60	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन प्रवृत्ति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- संस्थान द्वारा फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धनतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी०फार्म० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं पी.सी०आई० के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL
SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215
599b4475900e9a57d623ba515eed

प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

5. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

7. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. संस्थान द्वारा नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण होना चाहिए। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षक नियुक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)

12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)

13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)

14. संस्थान द्वारा शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

15. फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

17. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाय, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL
SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215
599b4475900e9a57d623ba515eed

राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

18. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

19. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

20. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

21. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 6.09 के प्राविधान के अनुसार प्रथम सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय के स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ में स्थित वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, के खाता संख्या 34733312391, IFSC Code SBIN0018957 में आनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संदान निधि ₹० 300000/- (रूपये तीन लाख मात्र) जमा कराना सुनिश्चित करें। संदान निधि निर्धारित तिथि तक जमा न कराने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू० लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL
SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215
599b4475900e9a57d623ba515eed